e-Mail

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

स0सं0:– 03/भू0अ0नि0 (3) सर्वेक्षण कार्यक्रम (18 जिला)–19/2021 Part-II 13167

प्रेषक,

जय सिंह, भा0प्र0से0
सचिव,
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग–सह–
निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप,
बिहार, पटना।

सेवा में,

वरीय पुलिस अधीक्षक
पुलिस अधीक्षक
पटना/रोहतास (सासाराम)/भोजपुर/बक्सर/दरभंगा/समस्तीपुर/मधुबनी/सारण/ गोपालगंज/मुजफ्फरपुर/ पूर्वी चम्पारण/ भागलपुर/सिवान/वैशाली/ कैमूर(भभूआ)/औरंगाबाद/बेगूसराय/लखीसराय/खगड़िया/जहानाबाद/ बांका/जमुई/मुंगेर/सीतामढ़ी/शिवहर/नालंदा/सुपौल/मधेपुरा/ किशनगंज/पूर्णियाँ/कटिहार/शेखपुरा/अरवल/नवादा/गया/अररिया/ पश्चिमी चम्पारण/सहरसा।

पटना, दिनांक :– 06/08/2024

विषय :– बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोस्त कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य के सभी अंचलों के सर्वेक्षण कार्य में संलग्न कर्मियों को सुरक्षा प्रदान करने के संबंध में।

प्रसंग :– भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय का पत्र संख्या–11032 दिनांक–20.10.2020 एवं पत्र सं0–177 दिनांक–11.01.2024

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंग में कहना है कि विभागीय उच्चस्तरीय निर्णय के आलोक में राज्य के प्रथम चरण के 20 जिले के अतिरिक्त शेष सभी जिलों में बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोस्त का कार्य प्रारंभ है, जिसमें प्रत्येक अंचल में 01–01 विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त शिविर का स्थापना करते हुए कुल 9888 नवनियोजित विशेष सर्वेक्षण कर्मियों का पदस्थापन किया गया है, जिसमें महिला पदाधिकारी एवं कर्मी भी शामिल है।

ज्ञातव्य हो कि माननीय मुख्यमंत्री, बिहार द्वारा दिनांक–03.07.2024 को विशेष सर्वेक्षण कर्मियों के नियोजन पत्र वितरण कार्यक्रम में राज्य के सभी जिलों में प्राथमिकता के आधार पर आगामी वर्ष में विशेष सर्वेक्षण का कार्य पूर्ण किये जाने का निदेश दिया गया है।

पूर्व से संचालित 20 जिलों के राज्य स्तरीय समीक्षा के क्रम में वरीय पदाधिकारियों द्वारा अनेक शिविरों में अज्ञात व्यक्तियों (रैयतों) द्वारा पदस्थापित विशेष सर्वेक्षण कर्मियों के साथ अभद्र व्यवहार, सरकारी दस्तावेजों को क्षति पहुँचाना, सर्वेक्षण कार्य में बाधा उत्पन्न करने का प्रयास के साथ–साथ ग्राम स्तर के असामाजिक तत्वों द्वारा धमकी दिये जाने, शिविर कार्यालयों के उपस्कर/अभिलेखों की चोरी तथा उपद्रव की घटना की सूचना दी जाती रही है, जिसके आलोक में निदेशालय पत्रांक–11032 दिनांक–20.10.2020 द्वारा सम्बन्धित जिलों के वरीय पुलिस अधीक्षक एवं पुलिस अधीक्षक के अनुरोध आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया था (पत्र की छायाप्रति संलग्न)।

अतः अनुरोध है कि पूर्व से संचालित जिलों के साथ नव प्रारंभ होनेवाले जिलों के विशेष सर्वेक्षण शिविर कार्यालयों एवं कार्यरत कर्मियों को सुरक्षा प्रदान करने हेतु स्थानीय थानाध्यक्षों को निदेशित करने के साथ–साथ चौकीदार/पुलिस बल को प्रतिनियुक्त करने की कृपा की जाय ताकि भूमि सर्वेक्षण जैसे अतिमहत्त्वपूर्ण कार्य को बिना किसी बाधा के ससमय सम्पन्न किया जा सके।

कृपया इसे अतिआवश्यक समझा जाय।

अनुलग्नक– प्रासंगिक पत्र की छायाप्रति।

विश्वासभाजन

6/8/24

(जय सिंह)
सचिव,
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग–सह–
निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक : 03/भू0अ0नि0 (3) सर्वेक्षण कार्यक्रम (18 जिला)—19/2021 Part-II 13167 **पटना, दिनांक** 06/08/2024

प्रतिलिपिः— पुलिस महानिदेशक, बिहार को सादर सूचनार्थ एवं अनुरोध है कि वर्णित मामले में अपने स्तर से संबंधित पदाधिकारियों को निदेश देने की कृपा की जाय।

सचिव,
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग—सह—
निदेशक, भू—अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक : 03/भू0अ0नि0 (3) सर्वेक्षण कार्यक्रम (18 जिला)—19/2021 Part-II 13167 **पटना, दिनांक** 06/08/2024

प्रतिलिपिः— सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार/सभी समाहर्त्ता, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सचिव,
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग—सह—
निदेशक, भू—अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक : 03/भू0अ0नि0 (3) सर्वेक्षण कार्यक्रम (18 जिला)—19/2021 Part-II 13167 **पटना, दिनांक** 06/08/2024

प्रतिलिपिः— सभी बन्दोबस्त पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सचिव,
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग—सह—
निदेशक, भू—अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक : 03/भू0अ0नि0 (3) सर्वेक्षण कार्यक्रम (18 जिला)—19/2021 Part-II 13167 **पटना, दिनांक** 06/08/2024

प्रतिलिपिः— सभी प्रभारी पदाधिकारी, बन्दोबस्त/सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी (मु0), बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सचिव,
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग—सह—
निदेशक, भू—अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक : 03/भू0अ0नि0 (3) सर्वेक्षण कार्यक्रम (18 जिला)—19/2021 Part-II 13167 **पटना, दिनांक** 06/08/2024

प्रतिलिपिः— श्रीमती सरिता कुमारी, प्रोग्रामर, आई0टी0सेल, भू—अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय को सूचनार्थ एवं वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सचिव,
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग—सह—
निदेशक, भू—अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक : 03/भू0अ0नि0 (3) सर्वेक्षण कार्यक्रम (18 जिला)—19/2021 Part-II 13167 **पटना, दिनांक** 06/08/2024

प्रतिलिपि : अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

सचिव,
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग—सह—
निदेशक, भू—अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक : 03/भू0अ0नि0 (3) सर्वेक्षण कार्यक्रम (18 जिला)—19/2021 Part-II 13167 **पटना, दिनांक** 06/08/2024

प्रतिलिपि : माननीय मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

सचिव,
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग—सह—
निदेशक, भू—अभिलेख एवं परिमाप

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

संख्या :– 17–तक0 को0–312/2018–Part-IV......177......पटना, दिनांक :–11/01/2024

आदेश

भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय के आदेश संख्या–1600 दिनांक–20.09.2019 द्वारा राज्य के 20 जिलों में विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त का कार्य प्रारंभ करने का आदेश निर्गत है।

वर्त्तमान में उच्चस्तरीय समीक्षा उपरान्त सम्पूर्ण राज्य में विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त का कार्य प्रारंभ करने के लिए निम्नांकित निर्णय लिये जाते हैं–

(i) राज्य के प्रथम चरण के 20 जिले यथा–बेगूसराय, लखीसराय, जहानाबाद, अररिया, सीतामढ़ी, सुपौल, प0 चम्पारण, शिवहर, बांका, शेखपुरा, सहरसा, कटिहार, पूर्णियाँ, मुंगेर, नालंदा, खगड़िया, अरवल, मधेपुरा, जमुई एवं किशनगंज के 89 अंचलों के साथ उक्त जिले के शेष सभी अंचलों एवं 18 जिले यथा–रोहतास, बक्सर, भोजपुर, कैमूर, औरंगाबाद, नवादा, गया, पटना, वैशाली, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चम्पारण, सिवान, गोपालगंज, दरभंगा, समस्तीपुर, मधुबनी, भागलपुर एवं सारण के सभी अंचलों में विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त का कार्य प्रारंभ किया जाएगा।

(ii) राज्य के सभी जिलों के प्रत्येक अंचल में एक–एक विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त शिविर स्थापित किए जाऐंगे।

(iii) अंचलस्तरीय प्रत्येक शिविर में 01 शिविर प्रभारी–सह–विशेष सर्वेक्षण सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी, 02 विशेष सर्वेक्षण कानूनगो, दो लिपिक तथा अंचल में प्रत्येक चार राजस्व ग्राम के लिए एक विशेष सर्वेक्षण अमीन को पदस्थापित किया जाएगा।

(iv) भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय के आदेश संख्या–1600 दिनांक–20.09.2019 के आलोक में विशेष सर्वेक्षण संचालित राज्य के 20 जिलों के कुल 220 अंचलों के 89 अंचलों में कार्यरत 208 विशेष शिविरों को पुर्नगठित करते हुए एक अंचल में एक से अधिक गठित विशेष सर्वेक्षण शिविरों को अंचल स्तरीय शिविर के साथ संबद्ध किया जाएगा।

उपरोक्त पर माननीय मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय, बिहार, पटना के आदेश संख्या–1600 दिनांक–20.09.2019 को इस हद तक संशोधित समझा जाए।

(जय सिंह) 11/1/24
निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– 17–तक0 को0–312/2018–Part-IV......177...... पटना, दिनांक :–11/01/2024

प्रतिलिपि :– सभी समाहर्त्ता–सह–बन्दोबस्त पदाधिकारी, बिहार/सभी अपर समाहर्त्ता, बिहार/सभी बंदोबस्त पदाधिकारी, बिहार/सभी भूमि सुधार उप समाहर्त्ता–सह–प्रभारी पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 17–तक0 को0–312/2018–Part-IV......177...... पटना, दिनांक :–11/01/2024

प्रतिलिपि :– उप निदेशक, बिहार सर्वेक्षण कार्यालय, गुलजारबाग, पटना–7 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 17–तक0 को0–312/2018–Part-IV......177...... पटना, दिनांक :–11/01/2024

प्रतिलिपि :– अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप
11/1/24

D:\Sanjay-2023\Birendra\Order\file_312_2018_22.12.2023.doc

(48)

E-Mail

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

संख्या – 17–तक0को0 (प्रशिक्षण)– 249 / 2019..........1032

प्रेषक,

निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप,
बिहार, पटना।

सेवा में,

वरीय पुलिस अधीक्षक
पुलिस अधीक्षक,
बेगूसराय, खगड़िया, लखीसराय, जहानाबाद, अरवल,
शिवहर, किशनगंज, अररिया, कटिहार, पूर्णियाँ,
सीतामढ़ी, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, प0 चम्पारण,
बांका, जमुई, शेखपुरा, मुंगेर एवं नालंदा।

पटना, दिनांक :– 20-10-2020

विषय :– विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त के लिए चयनित अंचलों में तथा विशेष सर्वेक्षण कार्य में संलग्न कर्मियों को सुरक्षा प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा लिए गए निर्णय के आलोक में आपके जिले में विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त का कार्य प्रारम्भ किया गया है। प्रथम चरण में विशेष सर्वेक्षण का कार्य प्रारम्भ करने के लिए निदेशालय स्तर से आपके जिलों के जिन अंचलों का चयन किया गया है, उसकी सूची पत्र के साथ संलग्न है। विशेष सर्वेक्षण कार्य के लिए प्रत्येक अंचल अधिकतम तीन विशेष सर्वेक्षण शिविर का गठन किया गया है और प्रत्येक शिविर में एक विशेष सर्वेक्षण सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी, दो विशेष सर्वेक्षण कानूनगो, दो लिपिक तथा 20 से 25 विशेष सर्वेक्षण अमीनों को पदस्थापना की गई है, जिसमें महिला पदाधिकारी एवं कर्मी भी शामिल है।

वर्त्तमान समय में वरीय पदाधिकारियों द्वारा जिलों के कार्यो की समीक्षा के दौरान बताया गया कि अनेक शिविर में पदस्थापित विशेष सर्वेक्षण कर्मियों को ग्राम स्तर के असामाजिक तत्वों की धमकी मिल रही है एवं शिविरों के मुख्यालय सुदूर क्षेत्रों में निर्मित पंचायत सरकार भवन अथवा अन्य सरकारी भवनों में स्थित होने के कारण सुरक्षा के दृष्टिकोण से असुरक्षित हैं। सरकारी भवनों के अनुपलब्धता की स्थिति में कुछ शिविर कार्यालय किराये के मकान में भी अवस्थित हैं।

अतः अनुरोध है कि विशेष सर्वेक्षण शिविर के कार्यालयों को एवं उनमें कार्यरत कर्मियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए स्थानीय थानाध्यक्षों को अपने स्तर से निदेश देने की कृपा की जाए ताकि भूमि सर्वेक्षण जैसे अतिमहत्त्वपूर्ण कार्य को बिना किसी बाधा के सम्पन्न किया जा सके।

अनुलग्नक– यथोक्त।

विश्वासभाजन
19/X/20
(निदेशक)
भू–अभिलेख एवं परिमाप

D:\Sanjeev-2020\Birendra Kumar ASO\ACS Letter\file no. -249_2019_19-10-2020.doc